यू. पी. राज्य

बनाम

जय प्रकाश

20 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, न्यायधीशगण]

दंड संहिता, 1860- धारा 302, 364 और 201 मृतक को आखरी प्रत्यर्थी के साथ देखा गया- मृत व्यक्ति के शव की कुए से बरामदगी- में कथित रूप से प्रत्यर्थी की मृतक के परिवार के प्रति दुश्मनी थी-निचली अदालत द्वारा प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया गया-उच्च न्यायालय द्वारा अपील में खारिज कर दिया गया-तथ्यों पर, अभिनिर्धारित किया गयाःअभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिदृश्य स्वाभाविक नही है और असंभव है-अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय का प्रत्यर्थी को बरी करना उचित- दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील- अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य।

पी. डब्ल्यू. 3 के 7 साल के बेटे का शव एक कुएं से बरामद किया गया था। मृतक को आखिरी बार प्रत्यर्थी के साथ देखा गया था। प्रत्यर्थी की कथित तौर पर मृतक के परिवार के प्रति दुश्मनी थी। निचली अदालत ने प्रत्यर्थी को आई. पी. सी. की धाराओं 302, 364 तथा 201 के अधीन दोष

सिद्ध किया। उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि अपास्त की। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1.अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है।आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्दोष होने का अनुमान बरी होने से और मजबूत हो जाता है । आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल के माध्यम से जो सुनहरा धागा चलता है, वह यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो आरोपी के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए।न्याय का गर्भपात जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकता है, एक निर्दोष के दोषसिद्धि से कम नहीं है। जहां अभियुक्त को बरी कर दिया गया है ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं वह उन साक्ष्य की पुनः विवेचन करे।

[पैरा 6]

भगवान सिंह और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 2 सुप्रीम ए 567, पर निर्भर था।

1. 2.बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत का पालन केवल तभी किया जाना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों।यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रासंगिक और विश्वसनीय सामग्री को प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक बाध्यकारी कारण है।[पैरा 6] [1094-बी, सी. आई.

शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्र. वि.महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (1973) एस. सी. 2622; रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, (1996) 4 सुप्रीम 167; सी. जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 3 सुप्रीम 320; राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 152; पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह, (2003) 5 सुप्रीम 508 और पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह और अनर, (2003) 7 सुप्रीम 17, पर भरोसा किया।

2. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिदृश्य स्वाभाविक नहीं लगता है।उद्देश्य स्थापित करने के लिए अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी पीडब्लू-3 को परेशान कर रहा था और इसके लिए उसे फटकार लगाई गई थी।यह भी कहा गया कि कई मौकों पर आरोपी पीडब्लू-8 का यौन उत्पीड़न करना चाहता था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह

अकेली न रह जाए, मृतक को उसके साथ जाने के लिए कहा गया था।इस पृष्ठभूमि में यह असंभव और अप्राकृतिक है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि पीडब्लू-3 मृतक को अभियुक्त के साथ जाने की अनुमति देगा और कोई सावधानी नहीं रखेगा, जब उसने मृतक को अभियुक्त के साथ देखने का दावा किया हो।पीडब्लू-4 का साक्ष्य भी स्वीकार्य नहीं है।अदालत में उनका बयान था कि आरोपी मृतक को साइकिल पर ले जा रहा था।जाँच के दौरान उन्होंने ऐसा नहीं कहा।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी को बरी करने का निर्देश देने में सही था। [पैरा 7 और 8]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार:-2001 की आपराधिक अपील सं. 635

(आपराधिक अपील संख्या 2633/1980 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय एवं आदेश दिनाक 27-4-2000 के विरुद्ध)

सहदेव सिंह, विकास बंसल, संजय कुमार सिंह और अनुव्रत शर्मा अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश के द्वारा-

1. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश,

तृतीय, अलीगढ़ द्वारा सेशन केस No.391/1979 में पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को अपास्त करके प्रतिवादी को बरी करने का निर्देश दिया गया है।अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 302, 364 तथा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।उन्हें पहले दो अपराधों में से प्रत्येक के लिए आजीवन कारावास और अंतिम अपराध के लिए पांच साल के आर. आई. की सजा दी गई थी।सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2. अनावश्यक विवरणों के बिना मुकदमे में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार हैः

दिनांक 21-2-1978 की सुबह आरोपी-प्रत्यर्थी को अपने घर के सामने लगभग 9 '0'बजे नूरुद्दीन (इसके बाद 'मृतक'के रूप में संदर्भित) के साथ बात करते हुए पाया गया, जहाँ वह खेल रहा था।आरोपी-प्रतिवादी कथित तौर पर उसे अपने साथ ले गया और उसके बाद नूरुद्दीन को नहीं देखा गया और रात में उसका शव एक कुएं से बरामद किया गया।नट्टू सिंह (पीडब्लू -4) ने कथित तौर पर उसी दोपहर मृतक-नुरुद्दीन को आरोपी-प्रतिवादी के साथ साइकिल पर जाते देखा था।श्रीमती. खातून (पीडब्लू -3) मृतक की माँ-नुरुद्दीन ने भी आरोपी-प्रतिवादी के साथ नुरुद्दीन को सुबह लगभग 9 बजे अपने घर के बाहर देखा था। उसने उसे भी उसके साथ जाते देखा था। इसके बाद, केवल उसका शव एक कुएं से बरामद किया जा

सका। अमीना (पीडब्लू -8) ने मृतक को घटना की सुबह आरोपी-प्रतिवादी के साथ उसके घर के बाहर बात करते हुए भी देखा था।अल्लाहदीन (पीडब्लू -2) लोहे की कील बेचने के लिए हाथरस गया था और शाम करीब 5 बजे घर लौटा था। खातून (पीडब्लू -3) ने तब उसे बताया था कि नूरुद्दीन को सुबह से नहीं देखा गया था और आरोपी-प्रतिवादी उसे ले गया था।उन्हें नट्टू सिंह (पीडब्लू -4) और अन्य कि उन्होंने मृतक को अभियुक्त-प्रतिवादी एफ के साथ साइकिल पर जाते देखा था।उन्होंने उसी रात 9:10 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मृतक का शव उसी रात राजा राम के कुएं से आरोपी-प्रतिवादी के निशादेही पर बरामद किया गया था, जिसे कथित तौर पर एस. आई. नरेश पाल यादव (पी. डब्ल्यू.7) ने गिरफ्तार किया था। जो घटना के बारे में रात लगभग 10 बजे जी गांव पहुंचे थे।बलबीर (पी. डब्ल्यु.6) जो की घटना के दिन लगभग दस बजे गावं पहुचा था वह अभियुक्त के कहने पर कुएँ से मृतक के शव की बरामदगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 27 के तहत उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बरामदगी का गवाह था।यह मामला शुरू में आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में शव बरामदगी पर आई. पी. सी. की धारा 302 और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अतिरिक्त रूप से परिवर्तित कर दिया गया था।

शव का पोस्टमॉर्टम डॉ. एस. के. सक्सेना (पीडब्लू 1) द्वारा दोपहर 3 बजे किया गया।मृतक की आयु लगभग 7 वर्ष थी और उसकी मृत्यु को लगभग 1 दिन बीत चुका था।उनके शरीर पर निम्नलिखित म्रत्यु पूर्व चोटें पाई गईंः

1. खरोंचदार घाव खोपड़ी (एल) पक्ष पर 1 1ा2 "x 1" x हड्डी गहरी/2 "बाहरी से मध्य रेखा, (एल) भौंह के ऊपर 1 1ा2"।

2. टेम्पोरल क्षेत्र पर 2 "x 2"के क्षेत्र में तीन खरोच 1/4 "x 4"से 2 x 2/10 "तक आकार के, हाथों और पैरों की त्वचा नालीदार थी।

मस्तिष्क में चोट लगने और डूबने के कारण कोमा और दम घुटने से मौत हुई थी।

जाँच की गई और आरोप पत्र दाखिल किया गया।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया।

3. अपील में, अपीलार्थी ने आग्रह किया कि अभियोजन का मामला स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है।यदि अभियुक्त का उद्देश्य था तो अभियोजन पक्ष द्वारा वर्णित परिदृश्य इसमें फिट नहीं बैठता है।उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी पीडब्लू-3 को परेशान कर रहा था और मृतक को उसके साथ जाने के लिए कहा गया था, तो यह अत्यधिक असंभव है कि मृतक की मां चाहेगी कि मृतक आरोपी के साथ जाए।जहाँ तक पीडब्लू-4 के साक्ष्य का संबंध है, यह नोट किया गया कि उसने जांच अधिकारी के

समक्ष यह नहीं कहा था कि मृतक को आरोपी साइकिल पर ले जा रहा था।तदनुसार उच्च न्यायालय ने बरी करने का निर्देश दिया।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था।आरोपी की मृतक के परिवार के प्रति दुश्मनी थी।केवल इसलिए कि पीडब्लू-4 ने जांच के दौरान में यह नहीं कहा था कि आरोपी मृतक को साइकिल पर ले जा रहा था, यह अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

5. नोटिस देने के बावजूद कोई भी प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ।

6. अपीलीय न्यायालय पर साक्ष्य जिस पर बरी करने का आदेश आधारित है, की समीक्षा करने वाले कोई प्रतिबंध नहीं है ।आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्दोष होने का अनुमान बरी होने से और मजबूत होता है।आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य पर मामले में दो विचार संभव है- एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करते हुए, तब वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के लिए अनुकूल हो।न्यायालय का सर्वोपरि उदेश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए।न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं

है।एक ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, वहा अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि जहां अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं वह उन साक्ष्य की फिर से विवेचना करे ।[भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 2 सर्वोच्च 567]। बरी किए जाने के निर्णय के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किया जाने वाला सिद्धांत-केवल तभी हस्तक्षेप करना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों।यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रासंगिक और विश्वसनीय सामग्री को प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक बाध्यकारी कारण है।इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्र बनाम में उजागर किया गया था।महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (1973) एस. सी. 2622, रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, डी. (1996) 4 सुप्रीम 167, जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 3 सुप्रीम 320, राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 152, पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह, (2003) 5 सुप्रीम 508 और पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 17)।

7.इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिदृश्य स्वाभाविक नहीं लगता है।उद्देश्य स्थापित करने के लिए अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी पीडब्लू-3 को परेशान कर रहा था और इसके लिए उसे फटकार

लगाई गई थी। यह भी कहा गया कि कई मौकों पर आरोपी पीडब्लू-8 का यौन उत्पीड़न करना चाहता था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अकेली न रह जाए, मृतक को उसके साथ जाने के लिए कहा गया था।इस पृष्ठभूमि में यह असंभव और अप्राकृतिक है जैसा कि एफ उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि पीडब्लू-3 मृतक को अभियुक्त के साथ जाने की अनुमति देगा और जब उसने मृतक को अभियुक्त के साथ देखने का दावा किया है तो वह कोई सावधानी नहीं रखेगा।पीडब्लू-4 का साक्ष्य भी स्वीकार्य नहीं है।अदालत में उनका बयान था कि आरोपी मृतक को साइकिल पर ले जा रहा था।जाँच के दौरान उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय प्रतिवादी को बरी करने का निर्देश देने में सही था।हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।रिहा या जमानत के लिए निष्पादित जमानत बांडों को उन्मोचित किया जाता है।

बी. बी.

अपील खारिज ।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।